

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत
श्री अरविन्द कुमार जणवा
निवासी भारजा
तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा-- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 06 वर्ष 2025

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
28.01.2025	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेंट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 23.12.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेशानुसार एवं आवंटन कमेटी की सिफारिश अनुसार मौजा भीमाना के खसरा संख्या 110 में भूमि आवंटन की गई है, जिसकी आदिनांक तक समस्त आवंटन भूमि पूर्ण विवरण के साथ प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांत द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 23.12.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेशानुसार एवं आवंटन कमेटी की सिफारिश अनुसार मौजा भीमाना के खसरा संख्या 110 में भूमि आवंटन की गई है, जिसकी आदिनांक तक समस्त आवंटन भूमि पूर्ण विवरण के साथ प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/सू.अ./2025/1170 दिनांक 03.01.2025 के द्वारा अपीलांत को सूचित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के स्तर पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर-ए-इजलारा सुनाया गया। पत्रावली फौरन शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरौही

